भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 149] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 1975/श्रावण 4, 1897
No. 149] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 26, 1975/SRAVANA 4, 1897

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTTOL

New Delhi, the 26th July 1975

SUBJECT.—*Terms and conditions applicable to import licences issued under the Austrian Credit 1975 (both for Public and Private Sector Imports).*

No. 74-ITC(PN)/75.—The terms and conditions governing the issuance of import licences under the Austrian Credit, 1975 (both for Public and Private Sector Imports) as given in Appendices I and II to this Public Notice are notified for information.

APPENDIX I

CONDITIONS FOR LICENSING PUBLIC SECTOR IMPORTS UNDER THE AUSTRIAN CREDIT, 1975

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C.I.F./C.&F. basis must be placed on the Austrian suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs within six months from the date of allocation or four months from the dat f issue of the import licence (whichever is earlier). The term 'firm order' means purchase orders placed by the Indian licencee, on the foreign supplier duly supported by confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier. If firm orders cannot be finalised within the time-limit of four months, the licencee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (CCI&E) or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed

within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If however, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs, (W.E.III Section), Ministry of Finance. The licence code "S" and "AA" should be indicated in the first and second suffix after the licence No. The correct licence code should be "used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only capital goods of Austrian origin are eligible for being financed under this credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payments to the Austrian suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraph 6—10 below.

4. The contract of supply between the Indian Importer and the Austrian Supplier should provide for the import being financed out of the Austrian Credit, 1975 in accordance with the procedures set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and *also incorporate a clause to this effect in the supply contract.* Moreover, approved orders should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E.III Section).

5. The value of the contract should be expressed in Austrian Schillings only. The contract should normally provide for cash payment out of the Austrian Credit, 1975 on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. As soon as possible after the contract is concluded, the importer should request the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, W.E. III Section. to obtain the approval of the Austrian authorities to the contract. This request should be accompanied by four photostat/certified copies of the Contract/Supply order and a photostat copy of the Import Licence. The following information should also be sent to the Department of Economic Affairs along with the contracts/supply order—

(i) Details of the Import Licence:—

(a) Number

(b) Date of issue

(c) Value

(ii) Name and Address of the Importer.

(iii) Name and Address of the Austrian Suppliers.

(iv) Value of the contract/order in Austrian Schillings.

(v) Short description of the goods to be imported.

(vi) Time for delivery (A schedule indicating probable dates and amounts of payments to the supplier may also be given).

(vii) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices certificate of Origin, etc., which the Austrian National Bank should demand from the Suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required—

(viii) Indian Agent's Commission, if any, included in the contract (Amount or percentage to be indicated). (The Indian Agents Commission will be payable by the Importer in rupees and will not be included in the value of the Letter of Authority).

(ix) Branch of any Nationalised Bank to which the original documents (negotiable) should be sent by the Austrian National Bank.

(x) Date upto which the Letter of Authority to the Austrian National Bank should be valid.

(xi) Special instructions, if any—

7. On receipt of the copies of the contract/supply order, and the information required in paragraph 6 above, the Department of Economic Affairs (W.E. III Branch) will forward a copy of the contract to the Austrian National Bank, Vienna together with a Letter of Authority (in the form of Annexure I) authorising payment to the suppliers against shipping documents, who will verify whether these payment orders be affected by contracting the suppliers and, if necessary, from the competent Austrian authories. The contract will become effective only after the approval of the Austrian National Bank has been received by the Government of India and the contract is made effective.

8. Within 10 days of receipt of shipping and other documents from the Austrian National Bank, the importers' Bank shall arrange to deposit into Government Account as indicated in para 9 below, the rupee equivalent of the amount disbursed to the Suppliers together with interest at 6 per cent p.a. for the period from the date of payment to the Austrian Suppliers upto the date on which rupee equivalents are deposited. For this purpose the payments made in Austrian Schillings will have to be converted into Rupees as per instructions contained in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972. Any change in this rate of conversion will be notified through Public Notice as and when necessary. It *will be the responsibility of the bankers to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the parties.* The importer should also ensure that the amounts are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

9. The deposit envisaged in para 8 may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or the amount may be remitted through a demand draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No 233-ITC(PN)/68 dated the 24th October, 1968 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated 5th October, 1971. The head of account to be credited is "K-Deposits and Advances (b) Deposits not bearing interest-843 Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases under Austrian Credit, 1975."

In the treasury challans, the following particulars should invariably be furnished (vide also Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974) prescribed the revised challan form which should invariably be used for these remittances.

(a) Ministry of Finance Letter of Authority No. & date—Austrian Credit, 1975.

(b) Amount of foreign currency in respect of which rupee deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign suppliers.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the suppliers upto the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

10. One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi 6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by Importer's Bank to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110001 alongwith a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the Austrian National Bank.

11. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

12. It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licencee and the supplier.

13. The licencee shall promptly comply with any directions, instructions, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Austrian Credit 1975. They will also furnish a quarterly report (in duplicate) to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section) as per Annexure II and the Controller of Aid Accounts & Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110001, as per Annexure III.

14. Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)

MINISTRY OF FINANCE (VITTA MANTRALAYA)

Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

The Manager,
Austrian National Bank,
Otto Waagner Platz 3,
Vienna—IX (Austria).

Dear Sir,

AUSTRIAN CREDIT 1975—LETTER OF AUTHORITY NO.

We are to invite a reference to the order No. .... dated the .. .. placed by M/s. ..... on M/s. . ..... for Austrian Schillings..... on account of .... We hereby authorise you to pay to M/s. .... a sum not exceeding Austrian Schillings.... .. (Austrian Schillings. ....) in accordance with the terms and conditions stipulated in the enclosed statement It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by M/s ... . be despatched direct to the .... (Bank).

2. The amount referred to in paragraph 1 above will be repaid by the Government of India in accordance with the terms and conditions laid down in Article—I of the Agreement dated the 6th March 1975 between the Government of India and the Government of the Republic of Austria.

3. The details of payments made against this Letter of Authority may kindly be intimated to the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Economic Aid (Accounts) Branch New Delhi to whom the debit advices along with a copy of the shipping and other stipulated documents may be sent.

4. This authority will remain valid upto the .....day of..... 197 .

Yours faithfully,

( )

Copy forwarded for information to:—

1. .... (Bank). They should ensure that the rupees equivalent calculated at the composite rate prescribed in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72, dated 28th January, 1972, Public Notice No. 108-ITC(PN)/72, dated the 21st July, 1972 and such other Public Notices that may be issued from time to time together with the interest thereon from the date of payment to the

suppliers to the date of deposit of the amount into Government Account is deposited before releasing the original documents to the Importer.

2.
3.
4.

Conditions for payments under Letter of Authority No. ..... issued by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi to Austrian National Bank, Vienna, under Austrian-Indian Credit Agreement dated 6th March, 1975.

Order of .. ..
in favour of .....
amount.....
payable against presentation of the following documents:

covering shipment of:

Price:

Term of delivery: (e.g. f.o.b., c.&f., c.i.f.)

time for delivery:

partial shipments are permitted/prohibited.

Special instructions:

(for example that not 100 per cent of the invoice amount is to be paid at once).

ANNEXURE II

Form of Utilisation Report in Respect of Austrian Credit, 1975 (to be furnished separately in respect of each licence).

1. Name of the Importer.
2. Number and Date of Import Licence.
3. Value of the Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Value of orders yet to be placed.
6. Payments made against the orders already placed.
7. Payments yet to be made (with a quarterly estimate of payments with value and anticipated dates of payment).
8. Surrenders, if any.

Signature of the authorised officer of the Importer.

ANNEXURE III

Statement Showing Quarterly Report on Utilisation Under Austrian Credit, 1975

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence.
3. Value of Import Licence.
4. Letter of Authority No. and date.
5. Amount of Letter of Authority.
6. Date of validity of Letter of Authority.
7. Value of orders placed.
8. Amount utilised during the quarter. A. Sch.
9. Total amount utilised. A. Sch.
10. Total Amount deposited into Government Account. Rs.
11. Payment expected to be made during the subsequent quarters [give figures—(Quarter-wise)].
12. Surrenders, if any.

APPENDIX II

CONDITIONS FOR LICENSING PRIVATE SECTOR IMPORTS UNDER THE AUSTRIAN CREDIT, 1975.

1. The licence will be issued with a validity period of twelve months but firm orders on C. I. F./C. & F. basis must be placed on the Austrian suppliers and copies of the same furnished to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs within four months from the date of issue of the import licence. The term 'firm order' means purchase orders placed by the Indian licensee on the foreign supplier duly supported by confirmation from the latter or purchase contract duly signed by both the Indian Importer and the foreign supplier. If firm orders cannot be finalised within the time limit of four months, the licensee should submit to the Chief Controller of Imports and Exports (C.C.I.&E.) or other licensing authorities, as the case may be, a proposal seeking an extension in the ordering period alongwith justification and explanation as to why ordering could not be completed within the initial validity period. Such requests for extension in the ordering period will be considered on the merit of each case by the licensing authorities who may grant extension upto a further maximum period of 2 months. If, however, extension is sought beyond 6 months from the date of issue of import licence, such proposal should invariably be referred by the licensing authorities to the Department of Economic Affairs (W.E. III Section), Ministry of Finance. The licence codes "S" and "AA" should be indicated in the first and second suffix after the licence number. The correct licence code should be used in all the shipping documents as well as in the "S" form required to be furnished to the Indian Bank at the time of rupee deposits.

2. Only capital goods of Austrian origin are eligible for being financed under this credit.

3. The licence will not be valid for remittances from India. Payments to the Austrian Suppliers can be made only in accordance with the procedure set forth in paragraph 6—10 below.

4. The contract of supply between the Indian Importer and the Austrian Supplier should provide for the import being financed out of the Austrian Credit, 1975, in accordance with the procedures set forth in these Licensing Conditions, and should also be made subject to approval by the Government of India. Importers should take special care to inform the Suppliers about this condition and **also incorporate a clause to this effect in the supply contract.** Moreover, approved orders should not be cancelled without prior concurrence of the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.

5. The value of the contract should be expressed in Austrian Schillings only. The contract should normally provide for cash payment out of the Austrian Credit, 1975 on presentation of shipping documents. For any customary performance guarantee, the Suppliers could be asked to furnish a bank guarantee.

6. As soon as possible after the contract is concluded, the importer should request the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (W.E. III Section), to obtain the approval of the Austrian authorities to the contract. This request should be accompanied by four photostat/certified copies of the contract/Supply Order; a photostat copy of the Import Licence and Bank Guarantee from an approved scheduled bank in the form attached (Annexure—IV) agreeing to deposit the amounts specified in paragraph 8 below. The foot note under the Bank Guarantee form should be noted for strict compliance. The following information should also be sent to the Department of Economic Affairs (W.E. III Section) along with the contract/Supply order—

(i) Details of the Import Licence—

(a) Number.....

(b) Date of issue.....

(c) Value.....

(ii) Name and Address of the Importer.....

(iii) Name and Address of the Austrian Supplier.....

(iv) Value of the contract/order in Austrian Schillings .... ..

(v) Short description of the goods to be imported .....

(vi) Time for delivery (A Schedule indicating probable dates and amounts of payments to the supplier may also be given).

(vii) Detailed list of shipping documents, like Bill of Lading, Invoices, certificate of Origin, etc., which the Austrian National Bank should demand from the Suppliers before making payment, together with the number of copies of each document required .....

(viii) Indian Agents' Commission, if any, including in the contract (Amount or percentage to be indicated). (The Indian Agents' Commission will be payable by the Importers in rupees and will not be included in the value of the Letter of Authority).

(ix) Name of the Importers' Bank in India ....

(x) Special instructions, if any.

7. On receipt of the copies of the contract/supply order the Bank Guarantee and the information required in paragraph 6 above, the Department of Economic Affairs will forward a copy of the contract to the Austrian National Bank together with a Letter of Authority. (in the form at Annexure—I) authorising payment to the suppliers against shipping documents who will verify whether these payment orders are to be effected by contacting the suppliers and, if necessary, from the competent Austrian authorities. The contract will become effective only after the approval of the Austrian National Bank has been received by the Government of India and the contract is made effective.

8. Within 10 days of receipt of shipping and other documents from the Austrian National Bank the importers' bank shall arrange to deposit into Government account as indicated in para 9 below, the rupee equivalent of the amount disbursed to the Suppliers together with interest at 6 per cent p.a. for the period from the date of payment to the Austrian Suppliers upto the date on which rupee equivalents are deposited. For this purpose, the payments made in Austrian Schillings will have to be converted into Rupees as per instructions contained in Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated 28th January, 1972 and Public Notice No. 108-ITC(PN)/72 dated 21st July, 1972. Any change in this rate of conversion will be notified through Public Notice as and when necessary. The importer should furnish a Bank Guarantee from an approved Scheduled Bank in the form in Annexure—IV agreeing to deposit the amount. The rate of exchange to be adopted for working out the amount of the Bank Guarantee should be the same as indicated on the import licence. The foot note under the Bank Guarantee form should be noted for strict compliance. *It will be the responsibility of the bankers to ensure that the amounts due are correctly deposited into Government Account before the import documents are handed over to the parties.* The importer should also ensure that the amounts are correctly deposited into Government account before taking delivery of the documents from their bankers.

9. The deposit envisaged in para 8 may be made in cash either at the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi or the amount may be remitted through a Demand Draft drawn on and in favour of the Agent, State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 for credit to Government account as contemplated in Public Notice No. 233-ITC(PN)/68 dated 24th October, 1968 and Public Notice No. 132-ITC(PN)/71 dated the 5th October, 1971. The head of account to be credited is "K-Deposits and Advances (b) Deposits not bearing Interest-843-Civil Deposits—Deposits for purchases etc. abroad—Purchases under Austrian Credit, 1975."

In the treasury challans, the following particulars should invariably be furnished (vide also Public Notice No. 74-ITC(PN)/74 dated 31st May, 1974) prescribing the revised challan form which should invariably be used for these remittances.

(a) Ministry of Finance Letter of Authority No. & Date ..... Austrian Credit, 1975.

(b) Amount of foreign currency in respect of which rupee deposits are to be made together with the rate of conversion adopted.

(c) Date of payment to the foreign suppliers.

(d) The amount of interest paid and the period for which it has been calculated.

(e) Total amount deposited.

(Interest is to be calculated for the period from the date of payment to the suppliers upto the date of deposit of rupee equivalents into Government Account).

10. One copy of the Challan from the Reserve Bank of India, New Delhi or the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 or intimation regarding the submission of Demand Draft to the State Bank of India, Tis Hazari, Delhi-6 should be sent by Importer's Bank, which has issued the Bank Guarantee to the Controller of Aid Accounts and Audit, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Jeeven Deep Building, Parliament Street, New Delhi-110001 alongwith a forwarding letter, giving full details of the Advice Notes received from the Austrian National Bank.

11. It will be obligatory for the importers to make the requisite rupee deposits through authorised dealers only and also to get the exchange control copy of the licence endorsed by them, as required in Public Notice No. 184-ITC(PN)/68 dated 30th August, 1968. They should also fill in the requisite "S" forms as prescribed by the Reserve Bank of India.

12. After the imports under a licence are completed and the Importer's bankers have deposited into Government Account all the amounts due, details of the import received and the rupee deposits made should be furnished to the Controller of Aid Accounts and Audit Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001 in the proforma prescribed in Annexure V to enable the Ministry of Finance to verify and arrange for release of the Bank Guarantee furnished by the importers wherever necessary. The importers will also be responsible to furnish a utilisation report in the form in Annexure III quarterly to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section)and the Controller of Aid Accounts and Audit, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi-110001.

13. It should be understood that the Government of India will not undertake any responsibility for disputes, if any, that may arise between the licensee and the supplier.

14. The licensee shall promptly comply with any directions, instructions, or order issued by the Government of India from time to time regarding any and all matters arising from or pertaining to the import licence and for meeting all obligations under the Austrian Credit, 1975 They will also furnish a quarterly report (in duplicate) to the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (W.E. III Section), as per Annexure III attached.

15. Any breach or violation of conditions set forth in the above clauses will result in appropriate action under the Imports and Exports (Control) Act.

ANNEXURE I

No. F.

GOVERNMENT OF INDIA (BHARAT SARKAR)

MINISTRY OF FINANCE (VITT MANTRALAYA)

Department of Economic Affairs (Arthik Karya Vibhag)

New Delhi, the

The Manager,
Austrian National Bank,
Otto Waagner Platz 3,
Vienna-IX (Austria).

Dear Sir,

AUSTRIAN CREDIT 1975—LETTER OF AUTHORITY NO.

We are to invite a reference to the Order No. ..... dated the ..... placed by M/s. ..... on M/s. ..... for Austrian Schillings, ... on account of ..... We hereby authorise you to pay to M/s. ..... a sum not exceeding Austrian Schillings ..... (Austrian Schillings .....) in accordance with the terms and conditions stipulated in the enclosed statement. It is requested that the invoices, shipping and other documents presented by M/s. .....be despatched direct to the.....(Bank).

2. The amount referred to in paragraph 1 above will be repaid by the Government of India in accordance with the terms and conditions laid down in Article-I of the Agreement dated the 6th March, 1975 between the Government of India and the Government of the Republic of Austria.

3. The details of payments made against this Letter of Authority may kindly be intimated to the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs), Economic Aid (Accounts) Branch, New Delhi to whom the debit advices along with a copy of the shipping and other stipulated documents may be sent.

4. This authority will remain valid upto the ..... day of ....., 197

Yours faithfully,

( ).

Conditions for payments under Letter of Authority No. ..... issued by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, New Delhi to Austrian National Bank, Vienna, under Austrian—Indian Credit Agreement dated the 6th March, 1975.

Order of .....

in favour of .....

amount .....

payable against presentation of the following documents:

Covering shipment:

Price:

Term of delivery (i.e.. f.o.b., c.&f., c.i.f.)
time for delivery:

partial shipments are permitted/prohibited:

Special instructions:

(for example that not 100 per cent of the invoice amount is to be paid at once).

ANNEXURE II

Form of Utilisation Report in respect of Austrian Credit, 1975.
(To be furnished separately in respect of each licence)

1. Name of the Importer.
2. Number and Date of Import Licence.
3. Value of the Import Licence.
4. Value of orders placed.
5. Value of orders yet to be placed.
6. Payments made against the orders already placed.
7. Payments yet to be made (with a quarterly estimate of payments with values and anticipated dates of payment).
8. Surrenders, if any.

Signature of the authorised
Officer of the Importer.

ANNEXURE III

Statement Showing Quarterly Report on Utilisation Under Austrian Credit, 1975.

1. Name of Importer.
2. No. and date of Import Licence.
3. Value of Import Licence.
4. Letter of Authority No. & Date.
5. Amount of Letter of Authority.
6. Date of validity of Letter of Authority.
7. Value of orders placed.

8. Amount utilised during the quarter. A Sch.

9. Total amount utilised. A. Sch.

10. Total Amount deposited into Government Account. Rs.

11. Payment expected to be made during the subsequent quarters (give figures—Quarter-wise).

12. Surrenders, if any.

ANNEXURE IV

GUARANTEE BOND

(To be furnished by Banks under the Procedure for the import of goods under the Austrian Credit, 1975)

To

The President of India,

In consideration of the President of India (hereinafter called 'the Government') having agreed to arrange for payment in Austrian Schillings for the import of .....by ..... (hereinafter called for importer) under the terms and conditions of the Austrian Credit, 1975 and in pursuance of Import Licence No. ..... issued on ..... in favour of the Importer against the above agreement, we ..... (Bank) at the request of the importer hereby undertake to arrange to deposit the amounts of the disbursements made by the Austrian National Bank converted at the prevailing composite rate of exchange calculated as per instructions issued by the Government in the matter from time to time within *ten days* of the receipt of advice of payment for credit to the Government account in the manner and against the appropriate Heads of Account as indicated by Government of India under the said credit together with interest at the rate of six per cent per annum on the amounts disbursed to the supplier from the date of payment to the Austrian supplier to the date of payment of rupee equivalent for credit to the Government Account. The negotiable set of import documents received from the Austrian National Bank will be released to the importer only after the rupee deposits contemplated above has been made.

2. We, the ..... (Bank) also undertake to indemnify and keep indemnified the Government against any default in payment by the importer of any sum that may be due and payable from time to time by the Importer to the Government at such place and in such manner as the Government may from time to time direct such sum not exceeding Rs. ..... or any part thereof for the time being due and payable by the importer. The decision of the Government as to any default in the said payment by the Importer or on his part and in regard to the amount payable to the Government by us ..... (Bank), shall be final and binding on us ..... (Bank).

3. We, ... (Bank) further agree that in case of increase in the value of import or increase in the value of unfulfilled deliveries under the contract as a result of change in the composite rate of exchange mentioned in para 1 above, the amount of this guarantee bond will be adjusted as on the date when the change takes place in proportion to this change.

4. We, ... (Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the said agreement/contract and that it shall continue to be enforceable till all the dues to the Government under or by virtue of this guarantee have been fully paid and its claims satisfied or discharged.

5. The guarantee herein contained shall not be effected by any change in the constitution of the Importer or the ..... (Bank), and the Government shall have the fullest liberty without affecting the guarantee to postpone for any time and from time to time any of the powers exerciseable by it against the importer and either to enforce payment by the importer of any of the amounts the payment whereof is intended to be hereby secured and the..... (Bank), shall not be released from its liability under the guarantee by any exercise by the Government of the liberty with reference to the matters aforesaid or

by reason of time being given to the importer or any other forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government, to the Importer or by any matter or thing whatsoever which under the law relating to surities shall, but for this provision, have the effect of so releasing the .... (Bank), from its such liability.

6. We, ... (Bank) undertake not to revoke this guarantee during its currency except with previous consent of the Government in writing.

7. We, ... (Bank), hereby undertake to make additional deposits in terms of Public Notice No. 15-ITC(PN)/72 dated the 28th January, 1972 and No. 108-ITC(PN)/72 dated the 21st July, 1972 and such other Public Notices that may be issued from time to time hereafter.

8. Our liability under this guarantee is restricted to Rs. ..... (plus interest and commission charges, if any, not expected to exceed one per cent of the guaranteed amount) and this guarantee shall remain in force till the ..... day* of ..... (month), 19..... Unless claims under this guarantee are made in writing within six months of this date and unless a suit or action to enforce these claims is commenced within another six months thereafter, i.e. upto ....., all Government's rights under this guarantee shall be forfeited and we shall be relieved and discharged from all liability thereunder.

Dated, the ..... day of

For ..... (Bank).

Accepted for and on behalf of the President of

India by Shri .....

Name and Designation

Signature .....

*This date shall be arrived at by adding one month to the date by which all payments to the suppliers are expected to be finalised.

NOTE.—The value of the stamped paper on which this guarantee is to be executed, is to be adjudicated by the Collector of Stamps.

ANNEXURE V

Proforma

1. Name and full address of the importer/licensee on whose behalf the Bank Guarantee was furnished:
2. The import licence number & date and value.
3. Number, date and amount of the guarantee furnished.
4. Particulars of the Letter of Authority obtained from the Ministry of Finance:
   (a) Number and date of the Letter of Authority;
   (b) Amount of the Letter of Authority (in Austrian Schillings).
5. Particulars of Imports effected and rupee deposits made:
   (a) Name of supplier(s).
   (b) Amount in Austrian Schillings actually paid to the Supplier(s) mentioned at (a) above.
   (c) Date of payment to the Supplier by the Austrian National Bank.
   (d) Amount of rupee deposit:—
      (i) Rupee equivalent of Austrian Schilling amount paid to the supplier @ 1 Austrian Schilling = Rs. .....
      (ii) Interest paid.
      (iii) Period for which the interest has been calculated from ..... to .....
      (iv) Total deposit made.
      (v) Date and place of deposit.

(vi) Number and date of the Treasury Challan (to be enclosed). If the Treasury Challan has already been sent, reference to the letter number and date with which it was sent may be quoted.

(vii) If the rupee deposit mentioned in (d), (iv) above was made by means of Demand Draft, the number, date, and amount of the draft and particulars of your letter with which it was sent to the Accountant General, Central Revenues, to be indicated.

6. Amount utilised and balance unutilised (in Austrian Schillings) against each Letter of Authority:—

7. A certificate that the balance indicated in 6 above, has not been utilised and no shipment has been made thereof, and the same may be treated as lapsed.

Authorised signature:

B. D. KUMAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1975

विषय.—आस्ट्रिया ऋण 1975 के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेन्सों के लिए लागू शर्तें (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के आयातों के लिए) ।

संख्या 74-आई०टी०सी० (पी०एन०)/75.—आस्ट्रिया ऋण, 1975 (सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के आयातों के लिए) के अन्तर्गत आयात लाइसेन्सों के निर्गमन को नियन्त्रित करने वाली जो शर्तें इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट 1 और 2 में दी गई है, सूचना के लिए अधिसूचित की जाती है।

परिशिष्ट 1

आस्ट्रिया क्रेडिट—1975 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने के लिए शर्तें

1. लाइसेंस 12 महीने की वैधता अवधि के लिये जारी किया जाएगा लेकिन आस्ट्रिया संभरकों को पक्का आदेश लागत-बीमा-भाड़ा/लागत और भाड़ा के आधार पर देना अनिवार्य है और निर्धारण तिथि से 6 महीनों के भीतर या आयात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों के भीतर (इनमें जो भी पहले हो) इनकी प्रतियां वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य-विभाग को भेज देनी चाहिए। शब्द "पक्का आदेश" का अर्थ है वे क्रय आदेश जो भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरकों के लिए दिया गया हो और जो बाद वाले से पुष्टिकरण द्वारा विधिवत् समर्थित हो या वे क्रय संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हों। यदि पक्के आदेश 4 महीने की अवधि सीमा के भीतर पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात (सी०सी० आई० एण्ड ई०) को या लाइसेंस प्राधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजे जिसमें आदेश देने में समय वृद्धि के लिए कहा गया हो और इसके साथ औचित्य और विवरण प्रस्तुत करे कि वह आरम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दे सका। आदेश देने की अवधि में वृद्धि से सम्बद्ध इस प्रकार के आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 2 महीने की

और आगे अवधि वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है। लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने से भी परे के लिए मांगी जाती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–3 अनुभाग), वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए। लाइसेंस कोड "एस" और "ए ए" लाइसेंस संख्या के बाद प्रथम और द्वितीय प्रत्यय में संकेतित होने चाहिए। रुपया निक्षेप के समय भारतीय बैंक को भेजे जाने वाले सभी पोतलदान दस्तावेजों और "एम" प्रपत्र में सही लाइसेंस कोड ही प्रयोग करने चाहिए।

2. केवल मूल रूप से आस्ट्रिया में उत्पादित पूंजीगत माल ही इस क्रेडिट के अधीना धन लगाने के लिए पात्र होगा।

3. लाइसेंस भारत से प्रतिपूर्ति के लिए बंध नहीं होगा। आस्ट्रिया संभरकों को भुगतान नीचे की कंडिका 6–10 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार ही किए जा सकते हैं।

4. भारतीय आयातक और आस्ट्रिया संभरक के बीच संभरण की संविदा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि इन लाइसेंस शर्तों में निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 में से आयात के लिए वित्तदान किया जा सके और यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के भी अधीन होनी चाहिए। आयातकों को चाहिए कि वे संभरकों को इन शर्तों के बारे में अवगत कराने में विशेष सावधानी बर्तें और इस संबंध में संभरण संविदा में भी एक अनुच्छेद जोड़ें। इस के अतिरिक्त अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–3 अनुभाग) की पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं किए जाने चाहिए।

5. संविदा का मूल्य केवल आस्ट्रिया के शिलिंग में व्यक्त होना चाहिए। संविदा में आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 में से नकद भुगतान की व्यवस्था साधारणतया लदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर होनी चाहिए। किसी भी प्रभागत गारंटी के निष्पादन के लिए संभरकों से एक बैंक गारंटी मांगी जानी चाहिए।

6. संविदा पूर्ण होने के यथा शीघ्र बाद ही आयातक को चाहिए कि वह वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को संविदा के लिए आस्ट्रिया प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। इस आवेदनपत्र के साथ संविदा/संभरण आदेश की चार फोटो प्रतियां/सांद्याकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति भी भेजी जानी चाहिए। संविदा/संभरण आदेश के साथ आर्थिक कार्य विभाग को निम्नलिखित सूचना भी भेजी जानी चाहिए :—

(1) आयात लाइसेंस के ब्योरे—
  (क) संख्या
  (ख) जारी करने की तारीख
  (ग) मूल्य
(2) आयातक का नाम और पता
(3) आस्ट्रिया संभरक का नाम और पता
(4) आस्ट्रिया शिलिंग में संविदा/आदेश का मूल्य
(5) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(6) वितरण के लिए समय (सभरक को किए जाने वाले भुगतानो की सम्भावित तिथियो और धनराशियो को निर्दिष्ट करते हुए एक अनुसूची भी दी जाए)

(7) पोतपरिवहन दस्तावेज जैसे लदान बिल, बीजक, माल के मूल रूप का प्रमाण पत्र आदि जो आस्ट्रिया के नेशनल बैंक को भुगतान करने से पहले सभरको से मागने चाहिए, प्रत्येक दस्तावेज की अपेक्षित प्रतियो की सख्या के साथ।

(8) भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, आदि किसी सविदा मे शामिल है (धनराशि या प्रतिशतता निर्दिष्ट की जानी है) (भारतीय अभिकर्ता का कमीशन आयातक द्वारा रूपए में किया जाएगा और प्राधिकार पत्र के मूल्य मे शामिल नही किया जाएगा)।

(9) राष्ट्रीयकृत बैंक की कोई भी ऐसी शाखा जिसको आस्ट्रिया के नेशनल बैंक द्वारा मूल दस्तावेज (परक्राम्य) भेजने चाहिए।

(10) वह तिथि जिस तक आस्ट्रिया नेशनल बैंक के लिए प्राधिकार पत्र वैध किया जाना चाहिए।

(11) विशेष अनुदेश यदि कोई हो———————————————————

7. सविदा/सभरण आदेशो की प्रतिलिपियो और उपर्युक्त पैरा 6 मे अपेक्षित सूचना की प्राप्ति होने पर आर्थिक कार्य विभाग (डब्ल्यू ई–3 शाखा) प्राधिकार पत्र (अनुबध–1 के प्रपत्र मे) के साथ सविदा की एक प्रति आस्ट्रियन नेशनल बैंक, वियना को सभरको को पोत परिवहन दस्तावेजो के प्रति भुगतान के लिए प्राधिकृत करते हुए भेजेगा। आस्ट्रियन नेशनल बैंक इस बात का सत्यापन करेगा कि क्या भुगतान आदेश सभरका से सम्पर्क द्वारा प्रभावी होने है और यदि आवश्यक होगा तो समर्थ आस्ट्रियन प्राधिकारियो से सत्यापन करेगा। सविदा केवल तभी प्रभावी होगी जब भारत सरकार द्वारा आस्ट्रियन नेशनल बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो और सविदा का प्रभावी बना दिया गया हो।

8. आस्ट्रिया नेशनल बैंक लदान एव अन्य दस्तावेजो की पावती के 10 दिनो के भीतर ही आयातक का बैंक नीचे पैरा 9 मे यथा सकेतित, सरकार के लेखे मे सभरको को वितरण की गई धनराशि के बराबर रुपए को जमा करने की व्यवस्था करेगा और इस के साथ ही साथ आस्ट्रियन सभरको के लिए भुगतान की तारीख से लेकर समतुल्य रुपए जमा कराने की तारीख तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी जमा करेगा। इस प्रयोजनार्थ आस्ट्रियन शिलिंग मे किए गए भुगतान वा सार्वजनिक सूचना स० 15-आई टी सी (पी एन)/72/दिनाक 28–1–1972 एव सार्वजनिक सूचना स० 108 आई टी सी (पी एन)/72 दिनाक 21–7–1972 में निहित अनुदेशो के अनुसार रुपए मे परिवर्तित करने पडेंगे। **इस बात का सुनिश्चय करने की जिम्मेवारी बैंकर्स की होगी कि पार्टियो को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देय धनराशि सरकार, लेखे में सही रूप से जमा करा दी जाती है।** आयातको को भी इस बात का सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि अपने बैंकर्स से दस्तावेजो की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशिया सही रूप से सरकार के लेखे मे जमा करा दी गई है।

9. पैरा 8 में दिखाए गए निक्षेप, सार्वजनिक सूचना सख्या 233–आई टी सी (पी एन)/68 दिनाक 24 अक्तूबर 1968 एव सार्वजनिक सूचना स० 132 आई टी सी (पी एन)/71 दिनाक 5, अक्तूबर 1971 मे यथा निर्धारित सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए नकद में या तो रिजर्व बैंक आफ इडिया, नई दिल्ली और या स्टेट बैंक आफ इडिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा कराने चाहिए और या धनराशि स्टेट बैंक आफ इडिया, तीस हजारी, दिल्ली–6 के ऐजेन्ट के नाम में डिमाड ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित

की जानी चाहिए वह लेखा शीर्ष जिस के अन्तर्गत निक्षेप किया जाना है, इस प्रकार है "के डिपोजिट्स एंड एडवांसेज (बी) डिपोजिट्स नाट बीयरिंग इन्ट्रेस्ट 843–सिविल डिपोजिट्स-डिपोजिट्स फार परचेसेज एक्सेप्ट्रा एक्रांड—परचेजेस अन्डर आस्ट्रियन क्रेडिट 1975"।

राजकोश चालान में निम्नलिखित ब्यौरे निरपवाद रूप से भेजे जाने चाहिए (सार्वजनिक सूचना संख्या 74 आई टी सी (पी एन)/74 दिनांक 31–5–74 को भी देखिए) जिसमें परिशोधित चालान प्रपत्र निर्धारित किया गया है और जो ऐसे प्रेषणों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए ।

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या एवं दिनांक————आस्ट्रिया क्रेडिट, 1975

(ख) विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ रुपए निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी संभरकों को भुगतान की तारीख।

(घ) भुगतान किए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिसके लिए उस की गणना की गई है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।
(ब्याज की गणना संभरकों को भुगतान की तारीख से लेकर सरकारी लेखे में निक्षेप की तारीख तक के लिए की जानी है)।

10. रिजर्व बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली से या स्टेट बैंक आफ इंडिया तीस हजारी, दिल्ली-6 से चालान प्रपत्र की एक प्रतिया या स्टेट बैंक आफ इंडिया, तीस हजारी, दिल्ली-6 को प्रस्तुत करने के बारे में सूचना की प्रति आयातक के बैंक के द्वारा आर्थिक कार्य विभाग वित्त मंत्रालय जीवन दीप बिल्डिंग पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ एक प्रेषण पत्र भी होना चाहिए जिसमें आस्ट्रिया नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त परामर्श नाट के पूरे ब्यौरे दिए जाएं।

11. आयातकों के लिए केवल प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से अपेक्षित रुपया जमा करना और सार्वजनिक सूचना संख्या 184आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 30, अगस्त 1968 के अनुसार उन्हीं से लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को पृष्ठांकित करना अनिवार्य होगा। उन्हें रिज़र्व बैंक आफ इंडिया द्वारा निर्धारित "एस" प्रपत्र भी भरना चाहिए।

12. इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई झगड़ा उठेगा तो सरकार उस के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

13. लाइसेंसधारी किसी एक एवं सभी मामलों के संबंध में या आयात लाइसेंस से संबंधित और आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूरा करने के सम्बद्ध सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा वे परिशिष्ट–2 के अनुसार वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग डब्ल्यू ई-3 शाखा को और (परिशिष्ट–3 के अनुसार सहायता लेखा तथा परीक्षा नियंत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट नई दिल्ली 110001 को एक त्रैमासिक रिपोर्ट (दो प्रतियों) में भेजेंगे।

14. उपर्युक्त खंडों में निर्धारित शर्तों का उलंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम के अधीन उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुबंध 1

सं० एफ०

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, 1975

आस्ट्रीय मेनेजर नेशनल बैंक,

ओट्टो वागनर पलेट्ज 3,

वियना–9 (आस्ट्रिया)

प्रिय महोदय,

आस्ट्रिया क्रेडिट 1975–प्राधिकार पत्र सं०

आपका ध्यान————————के कारण आस्ट्रीया शिलिंग के लिए सर्वश्री————————द्वारा सर्व श्री————————————के लिए दिए गए आदेश सं०————————दिनांक ————————————के संदर्भ में दिलाते हैं। हम एतद्द्वारा आपको संलग्न विवरण में निर्धारित नियम तथा शर्तों के अनुसार सर्वश्री————————————की धनराशि जो————————————आस्ट्रिया शिलिंग से अधिक की नहीं है (आस्ट्रीय शिलिंग)———— ————————————अदा करने के लिए प्राधिकृत करते हैं । यह निवेदन किया जाता है कि सर्वश्री ————————————द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, लदान तथा अन्य दस्तावेज सीधे ही————————————बैंक को भेज दिए जावें।

2. उपर्युक्त कंडिका 1 में दिखाई गई धनराशि भारत सरकार द्वारा भारत सरकार तथा आस्ट्रिया गणराज्य सरकार के बीच हुई संविदा दिनांक 6 मार्च, 1975 के अनुच्छेद 1 में निहित नियम तथा शर्तों के अनुसार अदा की जाएगी।

3. कृपया इस प्राधिकार पत्र के मद्दे किए गए भुगतानों के ब्यौरों की सूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग आर्थिक सहायता (लेखा) अनुभाग, नई दिल्ली को भेजे जिसे लदान तथा अन्य निर्धारित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामें परामर्श भेजे जा सकते हैं।

4. यह प्राधिकार पत्र————————दिन————————मास, 197 तक वैध रहेगा।

प्रति सूचनार्थ प्रेषित

1. ————————————बैंक।

उन्हें यह भली भांति सुनिश्चिय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972 सार्वजनिक सूचना संख्या 108 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 21 जुलाई, 1972 में तथा समय समय पर ऐसी अन्य जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित मिश्रित दर के हिसाब से उस पर संभरकों को भुगतान करने की तिथि से सरकारी लेखे में जमा करने की

तिथि तक ब्याज की गणना किए गए समतुल्य रुपए को आयातकों को मूल दस्तावेज रिहा करने से पूर्व ही जमा करा दिया जाता है।

2.

3.

4.

आस्ट्रिया-भारत ऋण समझौता दिनांक 6 मार्च 1975 के अधीन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा आस्ट्रिया नेशनल बैंक वियना को जारी किए गए प्राधिकार पत्र संख्या के अधीन भुगतानों की शर्तें।

——————————————के आदेश से

——————————————के पक्ष में

निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अदा की जाने वाली धनराशि——————————
—————————————— के पोतलदान को शामिल करते हुए कीमत :

वितरण की शर्तें. (अर्थात् जहाज पर्यन्त निशुल्क, लागत और भाड़ा, लागत-बीमा-भाड़ा)

वितरण के लिए समय :

आंशिक पोतलदान अनुमेय/निषेध है

विशेष अनुदेश :

(उदाहरणार्थ यह कि बीजक धनराशि का 100 % एकदम नहीं चुकाया जाना है)।

अनुबन्ध 2

आस्ट्रिया ऑडिट 1975 के सम्बन्ध में उपयोग किए गए माल की रिपोर्ट का प्रपत्र

(प्रत्येक लाइसेंस के लिए अलग अलग भरा जाना है)

1. आयातक का नाम

2. आयात लाइसेंस की सं० तथा दिनांक

3. आयात लाइसेंस का मूल्य

4. दिये गये आदेशों का मूल्य

5. दिये जाने वाले आदेशों का मूल्य

6. पहले से ही दिये गये आदेशों के मद्दे किए गए भुगतान ।

7. अदा किये जाने वाले भुगतान (मूल्य के साथ भुगतानों का त्रैमासिक अनुगान तथा भुगतान की पुर्वानुमानित तिथियां)

8. अभ्यपर्ण, यदि कोई है ।

आयातक के प्राधिकृत अधिकारी 'क' के हस्ताक्षर

अनुबन्ध 3

आस्ट्रिया ऋण, 1975 के अधीन माल के उपयोग की त्रैमासिक सूचना को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस का संख्या और दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक
5. प्राधिकार पत्र की धनराशि
6. प्राधिकार पत्र की वैधता की तिथि
7. दिये गये आदेशों का मूल्य
8. तिमाही के दौरान उपयोग की गई धनराशि:
   आस्ट्रिया शिलिंग :
9. उपयोग की गई कुल धनराशि : आस्ट्रिया शिलिंग :
10. सरकारी लेखे में जमा की गई कुल धन राशि : रुपये ।
11. आगामी तिमाहियों के दौरान किए जाने वाले संभावित भुगतान (तिमाहीवार आंकड़े दीजिये)
12. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

परिशिष्ट–II

आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 के अधीन निजी क्षेत्र के आयातों के लिए लाइसेंस जारी करने की शर्तें

1. लाइसेंस 12 महीने की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाएगा लेकिन, आस्ट्रिया संभरकों को पक्का आदेश लागत बीमा भाड़ा/लागत और भाड़ा के आधार पर देना अनिवार्य है और आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 4 महीनों के भीतर इन की प्रतियां वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को भेज देनी चाहिए । शब्द "पक्का आदेश" का अर्थ है वे क्रम आदेश जो भारतीय लाइसेंसधारी द्वारा विदेशी संभरकों के लिए दिया गया हो और जो बाद वाले से पुष्टि-करण द्वारा विधिवत् समर्थित हो या वे क्रय संविदा जो भारतीय आयातक और विदेशी संभरक दोनों के द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित हो । यदि पक्के आदेश 4 महीने की अवधि सीमा के भीतर पूर्ण नहीं किए जा सकते हैं तो लाइसेंसधारी को चाहिए कि वह जैसा भी मामला हो मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात (सी० सी० आई० एण्ड ई०) को या लाइसेंस प्राधिकारियों को एक प्रस्ताव भेजे जिसमें आदेश देने में समय वृद्धि के लिए कहा गया हो और इसके साथ औचित्य और विवरण प्रस्तुत करे कि वह आरम्भिक वैधता अवधि के भीतर आदेश क्यों नहीं दे सका । आदेश देने की अवधि में वृद्धि से सम्बद्ध इस प्रकार के आवेदनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार पर विचार किया जाएगा जो अधिक से अधिक 2 महीने की और आगे अवधि वृद्धि की स्वीकृति प्रदान कर सकता है । लेकिन, यदि वृद्धि आयात लाइसेंस जारी होने की तारीख से 6 महीने से भी परे के लिए मांगी जाती है तो इस प्रकार के प्रस्ताव निरपवाद रूप से लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा आर्थिक विभाग (डब्ल्यू० ई०–3 अनुभाग), वित्त मंत्रालय को भेजे जाने चाहिए । लाइसेंस

कोड "एस" और "ए ए" लाइसेंस संख्या के बाद प्रथम और द्वितीय प्रत्यय में संकेतित होने चाहिए। रुपया निक्षेप के समय भारतीय बैंक को भेज जाने वाले सभी पोतलदान दस्तावेजों और "एस" प्रपत्र में सही लाइसेंस कोड ही प्रयोग करने चाहिए।

2. केवल मूल रूप से आस्ट्रिया में उत्पादित पूंजीगत माल ही इस क्रेडिट के अधीन धन लगाने के लिए पात्र होगा।

3. लाइसेंस भारत से प्रतिपूर्ति के लिए वैध नहीं होगा। आस्ट्रिया संभरकों को भुगतान नीचे की कंडिका 6–10 में निर्धारित क्रियाविधि के अनुसार ही किए जा सकते हैं।

4. भारतीय आयातक और आस्ट्रिया संभरण के बीच संभरक की संविदा में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि इन लाइसेंस शर्तों में निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 में से आयात के लिए वित्तदान किया जा सके और यह भारत सरकार द्वारा अनुमोदन के भी अधीन होनी चाहिए। आयातकों को चाहिए कि वे संभरकों को इन शर्तों के बारे में अवगत कराने में विशेष सावधानी बर्तें और इस सम्बन्ध में संभरण संविदा में भी एक अनुच्छेद जोड़ें। इस के अतिरिक्त अनुमोदित आदेश वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की पूर्व सहमति के बिना रद्द नहीं किये जाने चाहिए।

5. संविदा का मूल्य केवल आस्ट्रिया के शिलिंग में व्यक्त होना चाहिए। संविदा में आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 में से नकद भुगतान की व्यवस्था साधारणतया लदान दस्तावेजों के प्रस्तुतीकरण पर होनी चाहिए। किसी भी प्रथागत गारण्टी के निष्पादन के लिए संभरकों से एक बैंक गारण्टी मांगी जानी चाहिए।

6. संविदा पूर्ण होने के यथा शीघ्र बाद ही आयातक को चाहिए कि वह वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को संविदा के लिए आस्ट्रिया प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए आवेदन करे। इस आवदन पत्र के साथ संविदा/संभरण आदेश की चार फोटो प्रतियां/ साक्ष्यांकित प्रतियां और आयात लाइसेंस की एक फोटो प्रति और नीचे की कण्डिका 8 में विशिष्टकृत धनराशि को जमा करने पर सहमत होते हुए संलग्न प्रपत्र (परिशिष्ट 4) के रूप में एक बैंक गारण्टी भेजनी चाहिए। गारण्टी प्रपत्र के अन्तर्गत पाद टिप्पणी को कड़े अनुपालन के लिए नोट कर लेना चाहिए। संविदा /संभरण आदेश के साथ आर्थिक कार्य विभाग को निम्नलिखित सूचना भी भेजी जानी चाहिए :—

(1) आयात लाइसेंस के ब्योरे :—

(क) संख्या

(ख) जारी करने की तारीख

(ग) मूल्य

(2) आयातक का नाम और पता

(3) आस्ट्रिया संभरक का नाम और पता

(4) आस्ट्रिया शिलिंग में संविदा/ आदेश का मूल्य

(5) आयात किए जाने वाले माल का संक्षिप्त विवरण

(6) वितरण के लिए समय (संभरक को किए जाने वाले भुगतानों की सम्भावित तिथियों और धनराशियों को निर्दिष्ट करते हुए एक अनुसूची भी दी जाए।

(7) पोत परिवहन दस्तावेज जैसे लदान बिल, बीजक, माल के मूल रूप का प्रमाण पत्र आदि जो आस्ट्रिया के नेशनल बैंक को भुगतान करने से पहले संभरकों से मांगने चाहिएं, प्रत्येक दस्तावेज की अपेक्षित प्रतियों की संख्या के साथ।

(8) भारतीय अभिकर्ता का कमीशन, यदि किसी संविदा में शामिल है (धनराशि या प्रतिशतता निर्दिष्ट की जानी है) (भारतीय अभिकर्ता का कमीशन आयातक द्वारा रुपए में किया जाएगा और प्राधिकार पत्र के मूल्य में शामिल नहीं किया जाएगा।

(9) भारत में आयातक के बैंक का नाम

(10) विशेष अनुदेश यदि कोई हो.....

7. संविदा/संभरण आदेशों की प्रतिलिपियों और उपर्युक्त पैरा 6 में अपेक्षित सूचना की प्राप्ति होने पर वाणिज्य कार्य विभाग प्राधिकार पत्र (अनुबन्ध–1 के प्रपत्र में) के साथ संविदा की एक प्रति आस्ट्रियन नेशनल बैंक, वियना को संभरकों को पोत परिवहन दस्तावेजों के प्रति भुगतान के लिए प्राधिकृत करते हुए भेजेगा। आस्ट्रियन नेशनल बैंक इस बात का सत्यापन करेगा कि क्या भुगतान आदेश संभरकों से सम्पर्क द्वारा प्रभावी होने हैं और यदि आवश्यक होगा तो समर्थ आस्ट्रियन प्राधिकारियों से सत्यापन करेगा। संविदा केवल तभी प्रभावी होगी जब भारत सरकार द्वारा आस्ट्रियन नेशनल बैंक का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो और संविदा को प्रभावी बना दिया गया हो।

8. आस्ट्रिया नेशनल बैंक से लदान एवं अन्य दस्तावेजों की पावती के 10 दिनों के भीतर ही आयातक का बैंक नीचे पैरा 9 में यथा संकेतित, सरकार के लेखे में संभरकों को वितरण की गई धनराशि के बराबर रुपए को जमा करने की व्यवस्था करेगा और इसके साथ ही साथ आस्ट्रियन संभरकों के लिए भुगतान की तारीख से लेकर समतुल्य रुपए जमा कराने की तारीख तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक की दर से ब्याज भी जमा करेगा। इस प्रयोजनार्थ आस्ट्रियन शिलिंग में किए गए भुगतान सार्वजनिक सूचना सं० 15–आई०टी०सी० (पी०एन०)/72 दिनांक 28–1–1972 एवं सार्वजनिक सूचना संख्या 108-आई०टी०सी० (पी०एन०)/72 दिनांक 21–7–72 में निहित अनुदेशों के अनुसार रुपए में परिवर्तित करने पड़ेंगे। **इस बात का सुनिश्चय करने की जिम्मेवारी बैंकर्स की होगी कि पार्टियों को आयात दस्तावेज सौंपने से पूर्व देय धनराशि सरकारी लेखे में सही रूप से जमा करा दी जाती है।** आयातकों को भी इस बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि अपने बैंकर्स से दस्तावेजों की सुपुर्दगी प्राप्त करने से पूर्व धनराशियां सही रूप से सरकार के लेखे में जमा करा दी गई है।

9. पैरा 8 में दिखाए गए निक्षेप, सार्वजनिक सूचना सं० 233–आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनांक 24 अक्तूबर, 1968 एवं सार्वजनिक सूचना संख्या 132–आई०टी०सी० (पी०एन०)/71 दिनांक 5 अक्तूबर, 1971 में यथा निर्धारित सरकारी लेखे में क्रेडिट के लिए नकद में या तो रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली और या स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली में जमा कराने चाहिएं और या धनराशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली–6 के एजेन्ट के नाम में डिमान्ड

ड्राफ्ट द्वारा प्रेषित की जानी चाहिए। वह लेखा शीर्ष जिस के अन्तर्गत निक्षेप किया जाना है, वह इस प्रकार है "के डिपोजिट्स एंड एडवांसेज (बी) डिपोजिट्स नाट बीयरिंग इन्ट्रेस्ट 843—सिविल डिपोजिट्स—डिपोजिट्स फार परचेजेस एक्सेट्रा एग्राड परचेजेस अन्डर आस्ट्रियन क्रेडिट 1975"।

राजकोष चालान में निम्नलिखित ब्योरे निरपवाद रूप से भेजे जाने चाहिए। [सार्वजनिक सूचना स० 74—आई०टी०सी० (पी०एन०)/74 दिनाक 31—5—74 को भी देखिए] जिसमें परिशोधित चालान प्रपत्र निर्धारित किया गया है और जो ऐसे प्रेषणों के लिए उपयोग किया जाना चाहिए।

(क) वित्त मंत्रालय के प्राधिकार पत्र की संख्या एव दिनाक..... आस्ट्रिया क्रेडिट 1975।

(ख) विदेशी मुद्रा की वह धनराशि जिस के संबंध में अपनाई गई परिवर्तन की दर के साथ रुपए निक्षेप किए जाने हैं।

(ग) विदेशी सभरकों को भुगतान की तारीख

(घ) भुगतान किए गए ब्याज की धनराशि और वह अवधि जिस के लिए उसकी गणना की गई है।

(ङ) जमा की गई कुल धनराशि।

(ब्याज की गणना संभरकों को भुगतान की तारीख से लेकर सरकारी लेखे में निक्षेप की तारीख तक के लिए की जानी है।)

10. रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, नई दिल्ली से या स्टेट बैक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली—6 से चालान प्रपत्र की एक प्रति या स्टेट बैक आफ इण्डिया, तीस हजारी, दिल्ली—6 को प्रस्तुत करने के बारे में सूचना की प्रति आयातक के बैंक के द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, जीवन दीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 को भेजी जानी चाहिए और इसके साथ एक प्रेषण पत्र भी होना चाहिए जिसमें आस्ट्रिया नेशनल बैंक द्वारा प्राप्त परामर्श नोट के पूरे ब्योरे दिए जाए।

11. आयातकों के लिए केवल प्राधिकृत व्यापारी के माध्यम से अपेक्षित रुपया जमा कराना और सार्वजनिक सूचना सं० 184—आई०टी०सी० (पी०एन०)/68 दिनाक 30 अगस्त, 1968 के अनुसार उन्ही से लाइसेंस की मुद्रा विनिमय नियंत्रण प्रति को पृष्ठांकित कराना अनिवार्य होगा। उन्हें रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्धारित "एस" प्रपत्र भी भरना चाहिए।

12. इसे जान लेना चाहिए कि लाइसेंसधारी और संभरक के बीच यदि कोई झगड़ा उठेगा तो सरकार उस के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

13. लाइसेंसधारी किसी एक एव सभी मामलों के संबंध में या आयात लाइसेंस से सबंधित और आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 के अन्तर्गत सभी दायित्वों को पूरा करने से सम्बद्ध सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए निदेशों, अनुदेशों या आदेशों का शीघ्रता से पालन करेगा। वे परिशिष्ट—2 के अनुसार वित्त मत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग को और परिशिष्ट—3 के अनुसार सहायता लेखा तथा परीक्षा नियत्रक, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, जीवन दीप बिल्डिग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली 110001 को एक त्रैमासिक रिपोर्ट (दो प्रतियों) में भेजेंगे।

14. उपर्युक्त खडों में निर्धारित शर्तों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी।

अनुबन्ध 1

सं० एफ

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 1975

आस्ट्रीय मैनेजर, नेशनल बैंक,
ओट्टो बागनर प्लेट्ज 3,
वियना, 9 (आस्ट्रिया)।
प्रिय महोदय,

आस्ट्रिया क्रेडिट 1975—प्राधिकार पत्र सं०

आपका ध्यान .....के कारण आस्ट्रीय शिलिंग के लिए सर्वश्री ..... द्वारा सर्वश्री ..... के लिए दिए गए आदेश सं० .....दिनांक ..... के संदर्भ में दिलाते हैं। हम एतद्द्वारा आपको संलग्न विवरण में निर्धारित नियम तथा शर्तों के अनुसार सर्वश्री .....को धनराशि जो ..... आस्ट्रिया शिलिंग से अधिक की नहीं है (आस्ट्रीय शिलिंग) ..... अदा करने के लिए प्राधिकृत करते हैं। यह निवेदन किया जाता है कि सर्वश्री ....द्वारा प्रस्तुत किए गए बीजक, लदान तथा अन्य दस्तावेज सीधे ही ..... बैंक को भेज दिए जायें।

2. उपर्युक्त कण्डिका 1 में दिखाई गई धनराशि भारत सरकार द्वारा भारत सरकार तथा आस्ट्रिया गणराज्य सरकार के बीच हुई संविदा दिनांक 6 मार्च, 1975 के अनुच्छेद 1 में निहित नियम तथा शर्तों के अनुसार अदा की जाएगी।

3. कृपया इस प्राधिकार पत्र के मद्दे किए गए भुगतानों के ब्योरों की सूचना भारत सरकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग आर्थिक सहायता (लेखा) अनुभाग, नई दिल्ली को भेजे जिसे लदान तथा अन्य निर्धारित दस्तावेजों की एक प्रति के साथ नामें परामर्श भेजे जा सकते हैं।

4. यह प्राधिकार पत्र ..... दिन..... मास, 197 तक वैध रहेगा।

भवदीय

(.....)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :—

(बैंक)

1. उन्हें यह भली भांति सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना संख्या 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 28 जनवरी, 1972, सार्वजनिक सूचना सं० 108—आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई, 1972 में तथा समय समय पर ऐसी अन्य जारी

की गई सार्वजनिक सूचनाओं में निर्धारित मिश्रित दर के हिसाब से उस पर संभरकों को भुगतान करने की तिथि से सरकारी लेखे में जमा करने की तिथि तक ब्याज की गणना किए गए समतुल्य रुपये को आयातकों को मूल दस्तावेज रिहा करने से पूर्व ही जमा करा दिया जाता है।

2.

3.

4.

आस्ट्रिया— भारत ऋण समझौता दिनांक 6 मार्च, 1975 के अधीन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, नई दिल्ली द्वारा आस्ट्रिया नेशनल बैंक, वियाना को जारी किए गए प्राधिकार पत्र सं० ....के अधीन भुगतानों की शर्तें।

..... के आदेश से

..... के पक्ष में

निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने पर अदा की जाने वाली धनराशि .... के पोतलदान को शामिल करते हुए कीमत :

वितरण की शर्तें: (अर्थात् जहाज पर्यन्त निशुल्क, लागत और भाड़ा, लागत-बीमा-भाड़ा)

वितरण के लिए समय :

आंशिक पोतलदान अनुमेय/निषेध है

विशेष अनुदेश :

(उदाहरणार्थ यह कि बीजक धनराशि का 100 प्रतिशत एक दम नहीं चुकाया जाना है)।

अनुबन्ध 2

आस्ट्रिया क्रेडिट 1975 के संबंध में उपयोग किए गए माल की रिपोर्ट का प्रपत्र 1

(प्रत्येक लाइसेंस के लिए अलग अलग भरा जाना है)

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेंस की सं० तथा दिनांक
3. आयात लाइसेंस का मूल्य
4. दिए गए आदेशों का मूल्य
5. दिए जाने वाले आदेशों का मूल्य
6. पहले से ही दिए गए आदेशों के मद्दे किए गए भुगतान।
7. अदा किए जाने वाले (भुगतान) मूल्य के साथ भुगतानों का त्रैमासिक अनुमान तथा भुगतान की पूर्वानुमानित तिथियां)।
8. अभ्यर्पण, यदि कोई है।

आयातक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर,

अनुबन्ध 3

आस्ट्रिया ऋण, 1975 के अधीन माल के उपयोग की अंतिम सूचना को प्रदर्शित करने वाला विवरण पत्र

1. आयातक का नाम
2. आयात लाइसेन्स की संख्या और दिनांक
3. आयात लाइसेन्स का मूल्य
4. प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक
5. प्राधिकार पत्र की धनराशि
6. प्राधिकार पत्र की वैधता की तिथि
7. दिए गए आदेशों का मूल्य
8. तिमाही के दौरान उपयोग की गई धनराशि : आस्ट्रिया शिलिंग :
9. उपयोग की गई कुल धनराशि : आस्ट्रिया शिलिंग :
10. सरकारी लेखे में जमा की गई कुल धनराशि : रुपये
11. आगामी तिमाहियों के दौरान किए जाने वाले संभावित भुगतान (तिमाहीवार आंकड़े दीजिए) ।
12. अभ्यर्पण, यदि कोई हो ।

अनुबन्ध 4

गारंटी बांड

(आस्ट्रिया क्रेडिट के अन्तर्गत माल के आयात के लिए क्रियाविधि के अन्तर्गत बैंकों द्वारा दिया जाना है)

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति,

भारत के राष्ट्रपति (जिसे इसके बाद 'सरकार' कहा गया) के बदले आस्ट्रीय क्रेडिट 1975 की शर्तों के अन्तर्गत——————(जिसे इसके बाद 'आया तक' कहा गया) के द्वारा————————का आयात करने के लिए आस्ट्रीय शिलिंग में भुगतान करने की व्यवस्था करने के लिए और उपर्युक्त संविदा के मद्दे आयातक के नाम में दिनांक————————को जारी किए गए आयात लाइसेंस सं०————————के अनुसरण में सहमत होते हुए, हम————————बैंक, आयातक की प्रार्थना पर भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट रीति से और उचित लेखा शीर्ष में सरकारी लेखे मे जमा करने के लिए भुगतानों की सूचना की पावती की तिथि से 10 दिनों के भीतर आयातक द्वारा मनोनीत आस्ट्रीया बैंक द्वारा व्यय की गई धनराशि को जो इस मामले में समय समय पर सरकार द्वारा जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार प्रचलित मुद्रा दर के हिसाब से परिवर्तित की गई है और इस धनराशि में आस्ट्रीय संभरक को भुगतान होने की तिथि से सरकारी खाते में समतुल्य रुपया जमा होने की तारीख तक की अवधि पर 6% वार्षिक दर से ब्याज जोड़ कर धनराशि को जमा करने की व्यवस्था करने का एतद्द्वारा वचन देते हैं। आस्ट्रीय राष्ट्रीय बैंक, वीयना से प्राप्त आयात प्रलेखों का

पराक्रम्ब सेट आया तक को तभी लौटाया जाएगा जबकि उपर्युक्त अपेक्षित रुपया जमा कर दिया गया हो।

2. हम दि----------बैंक, समय समय पर ऐसे स्थान और ऐसी रीति जो सरकार निर्दिष्ट करे, आया तक द्वारा सरकार को देय अथवा चुकाने योग्य किसी धनराशि के जो ----------रुपये से अधिक न हो, या निश्चित समय के भीतर आया तक द्वारा देय या चुका ने योग्य धनराशि के किसी भी भाग को और आस्ट्रीय संभरक" को भुगतान करने की तारीख से 6% की दर से ब्याज के न चुकाने में आयातक को त्रुटि होने पर स्वयं क्षतिपूर्ति करने का और सरकार को क्षतिपूर्ति के दायित्व मे मुक्त रखने का भी वचन देते हैं। उक्त भुगतान में आयातक द्वारा या उसकी तरफ से किसी प्रकार की त्रुटि और हमारे----------बैंक द्वारा देय धनराशि के संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा और हमारे ---------- ----बैंक पर लागू होगा।

3. हम ----------बैंक, आगे इस बात पर सहमत हैं कि संविदा के अन्तर्गत आयातों के मूल्य या माल छुड़ाना बाकी है उसके मूल्य में उपर्युक्त कंडिका 1 में संकेतित मुद्रा विनिमय को मिश्रित दर पर परिवर्तन होने की स्थिति में, जब से परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के अनुपात में इस बैंक में इस बैंक गारंटी बांड की धनराशि को समायोजित कर लिया जायगा।

4. हम----------बैंक आगे सहमत हैं कि इसके अन्दर निहित यह गारंटी उक्त करार/संविदा के निष्पादन होने तक पूरी शक्ति और प्रभाव के साथ लागू होगी और यह तब तक लागू रहेगी जब तक इसके अन्तर्गत सरकार को देय सब बकाया पूर्ण रुपेण नहीं चुकाए जाते और इस गारंटी की हैसियत से दावों को पूर्ण नही कर दिया गया हो या व अदा नहीं कर दिए गए हों।

5. इस गारंटी पर आयातक या दिन----------बैंक के विधान में किसी प्रकार का परिवर्तन होने से प्रभाव नही पड़ेगा और सरकार को यह पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि गारंटी को प्रभावित किए बिना आयातक पर लागू होने योग्य किसी भी अधिकार--को किसी समय या समय समय के लिए स्थगित करे और पूर्वोक्त मामलों के संदर्भ में या आया तक को दिए जा रहे समय के कारण या सरकार की ओर से किसी अन्य स्थगन, निर्णय या छूट या सरकार द्वारा आयातक पर किसी अनुग्रह या कानून के अन्तर्गत प्रतिपूर्तियों से संबंधित कोई भी मामला या वस्तु जो इस परन्तुक के लिए दि----------बैंक को इस के दायित्वों से मुक्त करने के लिए प्रभाव डाले, सरकार द्वारा इन मामलों में किसी प्रकार की स्वतंत्रता का प्रयोग करने से इस गारंटी के अन्तर्गत दि----------बैंक लि० अपने दायित्वों से मुक्त नहीं होगा।

6. हम----------बैंक अन्त में यह वचन लेते हैं कि सरकार की लिखित पूर्व अनुमति के बिना इस गारंटी को इसकी चालू अवधि के दौरान रद्द नहीं करेंगे।

7. हम----------बैंक एतद् द्वारा सार्वजनिक सूचना सं० 15 आई टी सी (पी एन)/72 दिनांक 20-1-72 तथा सा० सू० सं० 108 आई टी सी (पी एन)/72, दिनांक 21 जुलाई 1972 और अन्य ऐसी सार्वजनिक सूचनाएं जो समय समय पर जारी की जाएं उनके अनुसार अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन देते हैं।

8. इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत हमारा दायित्व..... रुपये (जमा ब्याज और अन्य प्रभार जिसकी आशा गारंटी की धनराशि के 1% से अधिक होने की नहीं है) तक प्रतिबंधित है और यह गारंटी .....माह के दिन* .... 19 ..... तक लागू रहेगी। जब तक

इस तिथि से 6 महीने के भीतर इन दावों को लागू करने के लिये आवेदन या कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक लागू रहेगी । इसके बाद अर्थात् दिनांक.....
.....तक इस बांड/गारंटी के अन्तर्गत सरकार के सब अधिकार समाप्त हो जाएंगे और उसके अन्तर्गत हमारे सब उत्तरदायित्वों से हमें छुटकारा और कार्य मुक्ति मिल जाएगी ।

दिनांक ..... 19..

कृते ..... बैंक लि०)

भारत के राष्ट्रपति के लिए और

उनकी ओर से श्री .....हस्ताक्षर

(नाम और पदनाम) द्वारा स्वीकृत

हस्ताक्षर.....

*जिस तिथि तक संभरक की सभी किस्म के भुगतान पूर्ण कर देने की सम्भावना है उस तिथि में एक महीना जोड़ कर यह तिथि गिनी जाएगी ।

टिप्पणी .—जिस स्टाम्प पेपर पर यह गारंटी कार्यान्वित की जानी है उसके मूल्य का निर्णय भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अन्तर्गत स्टाम्प समाहर्ता द्वारा किया जाता है ।

अनुबन्ध 5

प्रपत्र

1. जिस आयातक / लाइसेंसधारी की ओर से बैंक गारंटी भेजी गई थी उसका नाम और पूरा पता ।
2. आयात लाइसेंस की संख्या, दिनांक और मूल्य
3. भेजी गई गारंटी की संख्या, दिनांक और धनराशि
4. वित्त मंत्रालय से प्राप्त किए गए प्राधिकार पत्र के ब्यौरे
   (क) प्राधिकार पत्र की संख्या और दिनांक
   (ख) प्राधिकार पत्र की धनराशि (आस्ट्रिया लिशिंग में)
5. किए गए आयातों और जमा किए गए रूपयों के ब्यौरे :
   (क) संभरक (कों) का नाम
   (ख) ऊपर (क) में उक्त उल्लिखित संभरक (कों) को वास्तव में चुकाई गई आस्ट्रिया शिलिंग में धनराशि ।
   (ग) आस्ट्रिया के नेशनल बैंक द्वारा संभरक को भुगतान करने की धनराशि
   (घ) जमा किए गए रुपये की धनराशि :—
      (1) एक आस्ट्रिया शिलिंग ..... रुपये की दर
      संभरक को चुकाई गई आस्ट्रिया शिलिंग की धनराशि के बराबर रुपया

(2) चुकाया गया ब्याज

(3) अवधि जिसके लिए ब्याज की गणना की गई है.....
से.....तक

(4) जमा किया गया कुल रुपया

(5) रुपया जमा करने का दिनांक और स्थान

(6) राजकोष चालान की संख्या और दिनांक (संलग्न किया जाना है) यदि राजकोष चालान पहले ही भेज दिया गया है तो उस पत्र की संख्या और दिनांक का सन्दर्भ उद्धृत किया जाए जिसके द्वारा राजकोष चालान भेजा गया था ।

(7) यदि उपर्युक्त (4) में उल्लिखित रुपया डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा किया गया था तो डिमांड ड्राफ्ट की संख्या, दिनांक और धनराशि और आपके जिस पत्र के साथ यह महालेखापाल, केन्द्रीय राजस्व को भेजा गया था उसके ब्यौरे निर्दिष्ट किए जाने हैं ।

6. प्रत्येक प्राधिकार पत्र के प्रति उपयोग की गई और बिना उपयोग की गई शेष धनराशि (आस्ट्रिया शिलिंग में) ।

7. इस सम्बन्ध में एक प्रमाण पत्र की उपर्युक्त 6 में निर्दिष्ट की गई शेष धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और न ही उसके प्रति मात्र का ही उपयोग किया गया है और वह समाप्त समझी जाए ।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर)

बी० डी० कुमार,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975